271

373

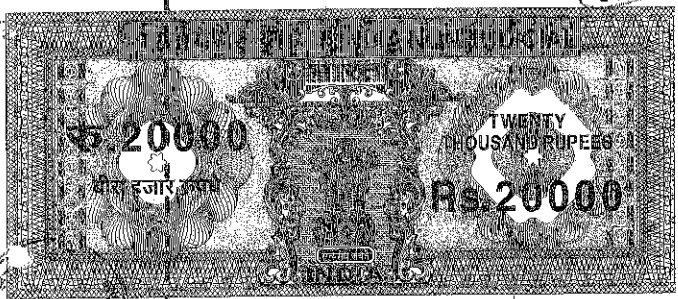

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.20000

बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714438

विक्रय-पत्र

बैनामा अंकन 48,50,000/- रूपये।

स्टाम्प अंकन 3,40,000/- रूपये।

विवरण विक्रय सम्पत्तिः- कृषि भूमिधरी के खाता नं0 303 के खेत नं0 115 रकबा 1.1530 हैक्टेयर सम्पूर्ण अपने में से 0.3373 हैक्टेयर भूमि को बैनामा हाजा में बेचा गया है स्थित ग्राम चमरावली रामगढ़, परगना व तहसील दादरी, जिला- गौतमबुद्धनगर।

रामाराम

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

11 JAN 2010

स्टाम्प नं0 ...... 20 ......
स्टाम्प नं0 ...... में शामिल किया गया
उप कोषाधिकारी

4850000 10000

कलाम ...... फीस रजि0 ......
उपरोक्त ...... 10000 ......
श्री ......
पुत्र श्री ......
निवासी ...... कोषागार दादरी
ने कार्यालय उप कोषागार दादरी जिला
गौतम बुद्ध नगर में आज दिनांक 11.01.2010
समस्त मूल्य ...... प्रस्तुत किया।

उप कोषाधिकारी दादरी

11.01.2010

इस लेखपत्र का संपादन एवं इसमें लिखी
मरेबदल मु0 4850000 रू0
जिसमें से ......
अपाद मेरे समक्ष पाकर उक्त श्री ......

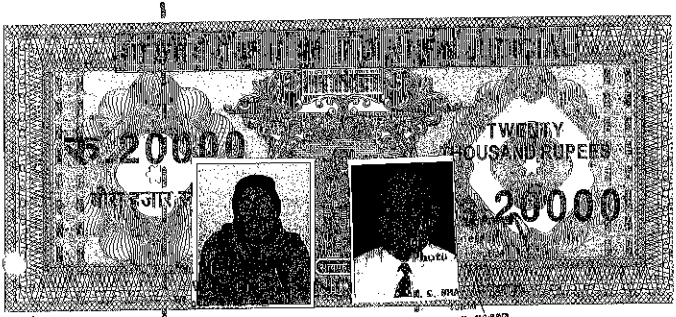

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714439

विक्रेता एवम् क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं जनजाति से नहीं है।

स्वीकार्य

कार्यालय उप कोषागार
सादरी

11 JAN 2010

स्टाम्प नं0 23 ... 2000
स्टाम्प नं0 22 में शामिल किया गया
उप कोषाधिकारी

...की पहचान श्री ...
पुत्र श्री ... पेशा ...
निवासी ...
व श्री ...
पुत्र श्री ... पेशा ...
निवासी ...
ने की

सेवाराम

उप रजिस्ट्रार सादरी
11.01.10

...आसी भले प्रतीत होते है चिन्ह
अंगूठा नियमानुसार लिये गये है

...निबन्धन
...अधिकारी...

11.01.10

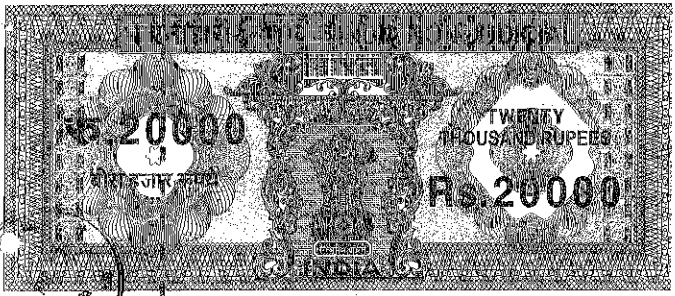

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714440

3

विक्रीत भूमि ग्राम समाज पट्टे व भूदान पट्टे आदि की नहीं है। संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है।

सेवाराम

कार्यालय उप कोषागार

11 JAN 2010

स्टाम्प नं....24.........20......

स्टाम्प नं.........में शामिल किया गया

उप कोषाधिकारी

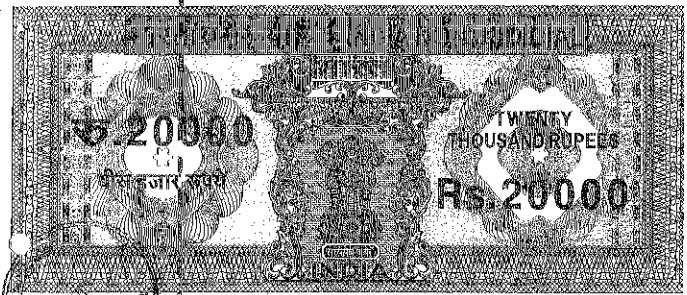

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714441

4

विक्रीत भूमिधरी भूमि जिसका सर्किल रेट 85,00,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर का है। विक्रित रकबा कम होने के कारण आबादी दर पर स्टाम्प अदा किया गया है।

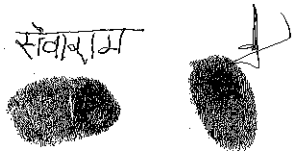

11 JAN 2010

स्टाम्प नं0 25 20

स्टाम्प नं0 77 से शामिल किया गया

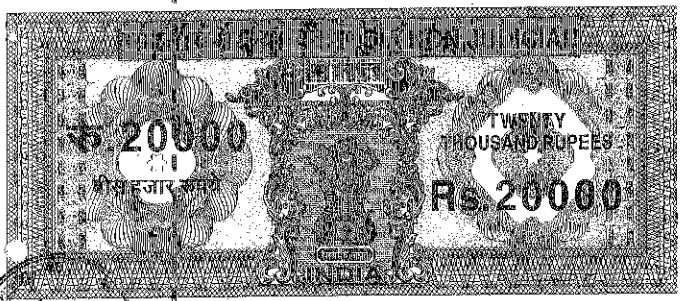

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 714442

5

विक्रीत भूमि किसी जी0टी0रोड, राज्य रोड अथवा लिंक रोड पर स्थित नहीं है

सोनाराम

कार्यालय उप कोषागार

11 JAN 2010

स्टाम्प नं0 ......26......

स्टाम्प नं0 ......26...... में शामिल किया गया

उप कोषाधिकारी

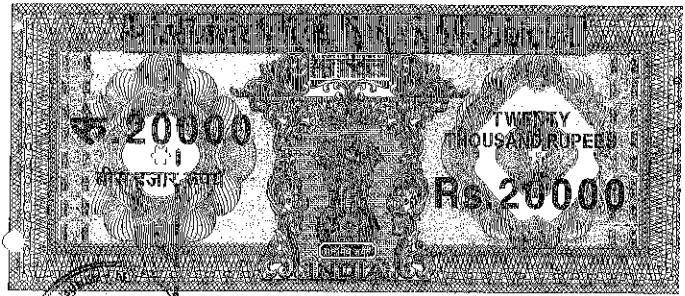

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

Rs.20000

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs.20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714443

6

विक्रीत भूमि की बाबत क्रेता व विक्रेता दोनों पक्षों के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा माहदा बय पंजीकृत नहीं हुआ है।

सैताराम

कार्यालय उप कोषागार
दादरी
11 JAN 2010
स्टाम्प नं0 72 2010
स्टाम्प नं0 72 में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

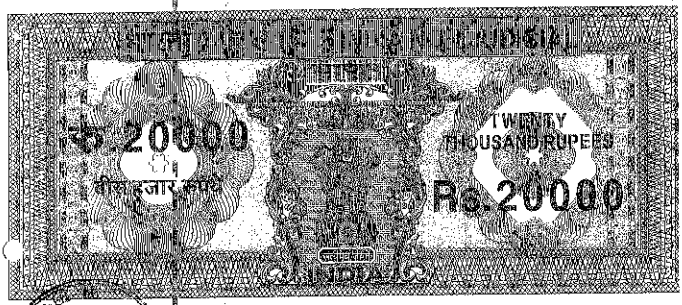

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 20000 बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES

Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714444

7

हम कि सेवाराम पुत्र श्री बल्लन जाति गुर्जर निवासी ग्राम चमरावली बोड़ाकी, परगना व तहसील दादरी, जनपद- गौतमबुद्धनगर। (विक्रेता, फरीक अव्वल)।

एवम्

मैसर्स सेलेस्टाइल रियलेटर्स लिमिटेड, 1202 अन्तरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली 110001 द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरी गीता राम त्यागी पुत्र स्व0 श्री दाताराम त्यागी निवासी अपर बेसमेंन्ट, अंसल प्लाजा, नॉलिज पार्क प्रथम, इन्स्टीट्यूट एरिया, ग्रेटर नौएडा, जिला- गौतमबुद्धनगर, पिन-201308 (उत्तर प्रदेश) (क्रेता फरीक दोयम)।

सेवाराम

कार्यालय उप कोषागार

11 JAN 2010

में शामिल किया गया

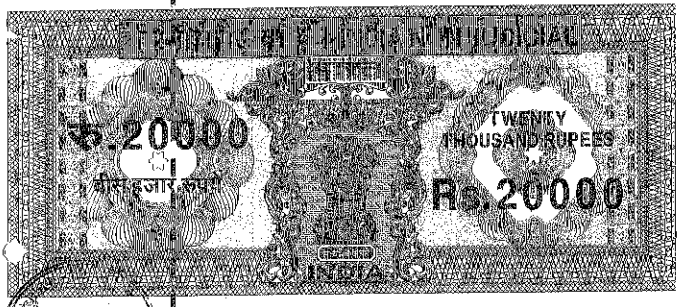

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 714445

8

विदित हो कि विक्रित सम्पत्ति जिसका फरीक अव्वल एकमात्र मालिक व संक्रमणीय भूमिधर स्वामी है। जोकि आज दिन तक फरीक अव्वल की ओर से हर प्रकार के भार, बंधक आदि से पाक साफ व सुरक्षित है। यानि कि किसी भी स्थान पर आड़, रहन, बय, हिबै, माहदाबय, जमानत आदि से ग्रस्त नहीं है तथा उपरोक्त भूमि की बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद विवाद विचाराधीन

सेवाराम

कार्यालय उप कोषागार

11 JAN 2010

7.9 ... 2010

... में शामिल किया गया

उप कोषाधिकारी

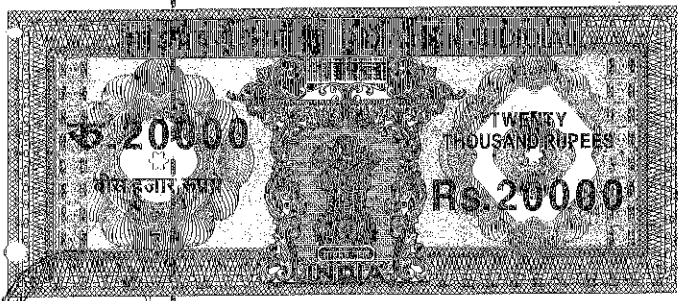

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 714446

नहीं है तथा फरीक अव्वल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति हकदार या हिस्सेदार नहीं है। कोई कारण बाधा का उपरोक्त भूमिधरी भूमि को विक्रय करने में नहीं आता है। अतः फरीक अव्वल ने अपनी समस्त शुद्ध बुद्धि व स्थिर चित्त की दशा में खूब सोच समझ कर बिना किसी दबाव व बहकाव के उक्त भूमि को सर्व अधिकार सहित आज की बजारू कीमत के बदले अंकन

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

11 JAN 2010

स्टाम्प नं0 ... में शामिल किया गया
स्टाम्प नं0 ...
उप कोषाधिकारी

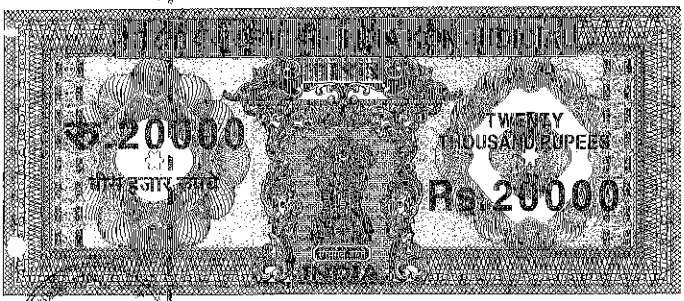

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 714447

रूपये 48,50,000/- (अड़तालीस लाख पचास हजार रूपये मात्र) जिसके आधे अंकन रूपये 24,25,000/-होते है में इसी समय से हाथ उपरोक्त फरीक दोयम को बेच दी तथा कतई वय कर दी तथा समस्त विक्रीतधन अर्थात भूमि की कुल कीमत निम्नलिखित अनुसार प्राप्त करके बेची भूमि को कब्जे अधिकार अपने से फरीक दोयम में देकर उस पर फरीक

सोवाराम

कार्यालय उप कोषागार

11 JAN 2010

स्टाम्प सं0... में शामिल किया गया

उप कोषाधिकारी

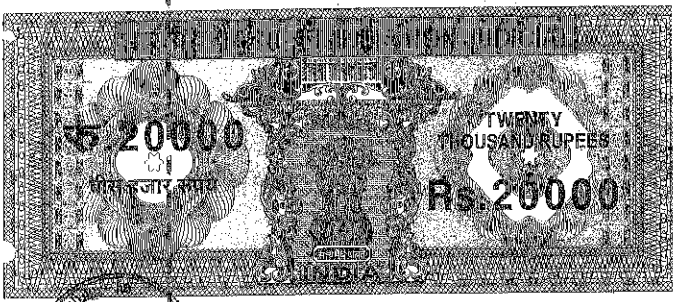

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714448

दोयम को अपने ही समान मालिकाना मालिक काबिज व दखिल कर दिया है। अब बैय किये पश्चात विक्रीत भूमि के किसी भी अंश से फरीक अव्वल व वारिसान फरीक अव्वल का कोई वास्ता या ताल्लुक किसी भी किस्म का शेष नहीं रहा है तथा ना ही भविष्य में होगा। कब्जा मौके पर फरीक दोयम को बहैसियत मालिक पूर्ण रूप से करा दिया है। अब आज की तारीख से ही फरीक दोयम

दोयम

कार्यालय उप कोषागार
डबरी

11 JAN 2010

स्टाम्प क्र.... [illegible] ... 2000
स्टाम्प नं.... [illegible] ... में शामिल किया गया
उप रोकड़िया

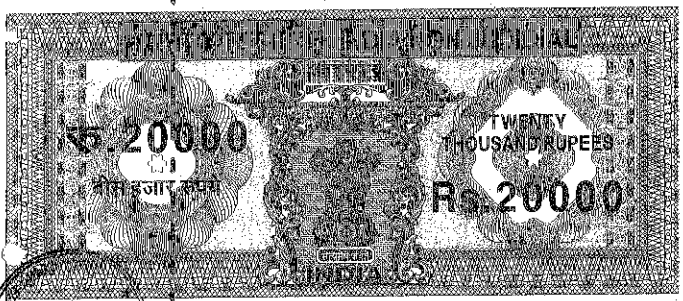

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714449

को सर्वथा हक व अधिकार होगा कि वह खरीदकर्ता कृषि भूमिधरी को जिस प्रकार चाहे प्रयोग मालिकाना अपने में लाकर चाहे जिस प्रकार से मालिकाना लाभ उठावें। यदि विक्रीत भूमि का कोई अंश किसी भी नुक्श कानूनी कमी आदि के कारण से कब्जे मालिकाना क्रेता फरीक दोयम से निकल जावेगा या कब्जा फरीक दोयम को न मिले या फरीक अव्वल मालिकाना मालिक हस्ताक्षरकर्ता सिद्ध न

कार्यालय उप कोषागार
[illegible]

11 JAN 2010

[illegible] नं0 03 2010
[illegible] नं0 77 में शामिल किया गया
उप [illegible]

[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 714450

हुआ या अन्य किसी कारण से कब्जे मालिकाना फरीक दोयम से कुल या आंशिक रूप से निकल जावेगी तो हर ऐसी दशा में फरीक दोयम को हक होगा कि वह उस समय की बजारू कीमत को जिस प्रकार चाहे बजरिये अदालत फरीक अव्वल व वारसान फरीक अव्वल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से वसूल कर लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। दाखिल खारिज बेची भूमिधरी का

सीताराम

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

11 JAN 2010

स्टाम्प नं0 04 ... 2009
स्टाम्प नं0 ... 72 में शामिल किया गया
उप कोषाधिकारी

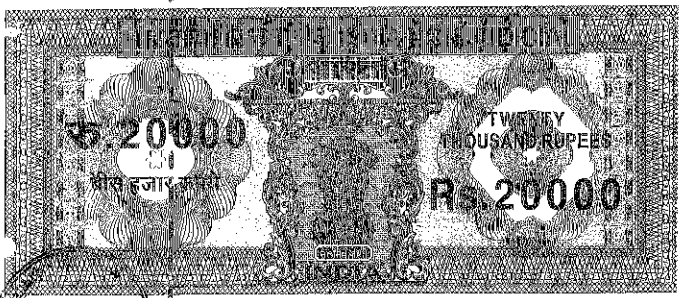

भारत INDIA

रु. 20000 बीस हजार रुपये

TWENTY THOUSAND RUPEES Rs. 20000

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714451

बनाम फरीक दोयम के करा दूँगा या फरीक दोयम इस विक्रय पत्र के आधार पर सरकारी अभिलेखों में अपना नाम स्वयं दर्ज करा लें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। विक्रीत भूमि कृषि भूमि है तथा आस-पास भी कृषि भूमि है।

सेवाराम

कार्यालय उप कोषागार

11 JAN 2010

स्टाम्प नं0... स्टाम्प नं0... में शामिल किया गया
उप शेकड़िया

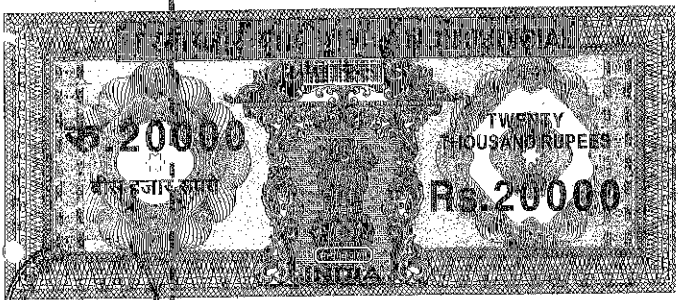

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714452

15

विवरण धन अदायगी :- द्वारा एकाउन्ट पेयी दो किता चैक नं0 975649 अंकन 20,00,000/- रूपये दिनांक 03-12-2009 व 975654 अंकन 26,72,000/- रूपये दिनांक 11-01-2010 इस प्रकार कुल अंकन 46,72,000/- रूपये के चैक पंजाब नेशनल बैंक, मिड कॉरपोरेट शाखा ए-9 कनॉट पैलेस, नई दिल्ली के द्वारा तथा शेष अंकन 1,78,000/- रूपये पेशगी इस प्रकार कुल अंकन 48,50,000/- रूपये फरीक अव्वल (विक्रेता) ने फरीक दोयम (क्रेता) से प्राप्त कर लिये। अब कोई पैसा विक्रेता का क्रेता की ओर बाकी नहीं रहा है।

सेवाराम

कार्यालय स्टाम्प कोषागार
वाराणसी

11 JAN 2010

स्टाम्प सं० 616 ... 2009
स्टाम्प नं0 72 में शामिल किया गया
उप कोषाधिकारी

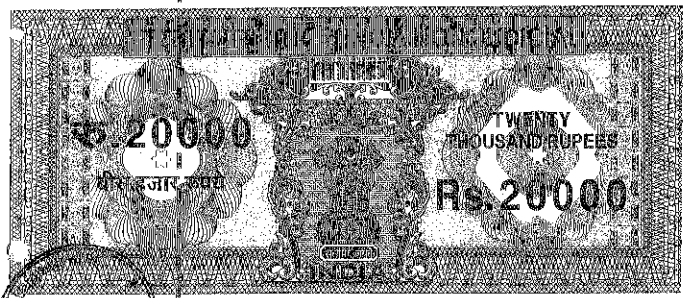

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

714453

16

उपरोक्त लिखित दस्तावेज फरीक अव्वल व फरीक दोयम की जानकारी के आधार पर तैयार की गयी। दस्तावेज पर चस्पा फोटो गवाहों के कथन पर सत्यापित है।

सेवाराम

कार्यालय उप कोषागार

11 JAN 2010

चालान सं० 07 2009

चालान सं० ...... में शामिल किया गया

उप कोषाधिकारी

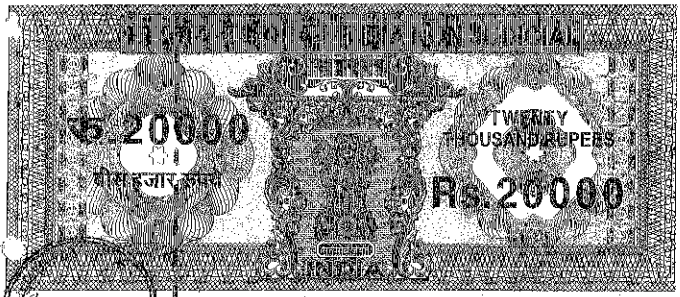

रु.20000 बीस हजार रुपये
TWENTY THOUSAND RUPEES Rs.20000
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 714454

17

अतः यह विक्रय पत्र कतई लिख दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे। इति।।

सेवाराम

गवाह - 1 हरिश्याम
हरिश्याम पु० ओमप्रकाश
नि० ...लपुर

गवाह - 2

11/01/2010

तारीख 11-01-2010 ई0 मसौदाकर्ता राधेश्याम अग्रवाल, बैनामा लेखक, दादरी (गौतमबुद्धनगर) लाइसेन्स नं0-1

राधेश्याम अग्रवाल,
बैनामा लेखक लाइ०नं०-1
तहसील-दादरी गौतमबुद्धनगर

कार्यालय उप कोषागार
दादरी

11 JAN 2010

स्टाम्प रू० 00 ... 2010
स्टाम्प नं० ... में शामिल किया गया
उप कोषाधिकारी

आज दिनांक 11/1/10 को बही संख्या

पुस्तक संख्या I खण्ड संख्या 2453

के पृष्ठ 292 से 332 पर क्रम संख्या 271

पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उप निबन्धक
दादरी